



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 217-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017 (AGRAHAYANA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

**संख्या आर्क०-2017/26744.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सहायक वास्तुक (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

### भाग-1 सामान्य

1. ये नियम हरियाणा सहायक वास्तुक (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;
  - (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई कोई नियुक्ति ;
  - (ग) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
  - (घ) “विभागाध्यक्ष” से अभिप्राय है, मुख्य वास्तुक, वास्तुकला विभाग, हरियाणा ;
  - (ङ) “संस्था” से अभिप्राय है,—
    - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;
  - (च) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
    - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
    - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
  - (छ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा सहायक वास्तुक (ग्रुप-ख) सेवा।

### भाग-II सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाये गये पद समाविष्ट होंगे : पदों की संख्या तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई तथा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह वह निम्नलिखित न हो :-

- (क) भारत का नागरिक ; या  
(ख) नेपाल की प्रजा ; या  
(ग) भूटान की प्रजा :

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

अर्हताएं और अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो।

निर्हिताएं।

8. कोई भी व्यक्ति :-

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या  
(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,-

- (i) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा  
(ii) 33 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; अथवा  
(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

परन्तु पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिबीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है, और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर किसी रिक्ति पर पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से लग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो,—
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
- (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से रिक्ति पर पुष्ट कर सकता है य या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित रूप से निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़ या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो या गैर: सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें:

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबन्ध, उन सेवा के सदस्यों को लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवा में नियुक्त किये गये हैं (मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान को छोड़ कर)।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से निवृत्त होता है, अधिवर्षिता पेंशन किन्तु पेंशन की किसी अन्य किस्म के लिए नहीं के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,—

- (i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि ; या
  - (ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है ; या
  - (iii) पांच वर्ष की अवधि,
- इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,—

- (क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और
- (ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं:

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी,—

- (i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नति द्वारा ;
- (ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृति के समय दस वर्ष या अधिक है:
- (iii) किसी ऐसे पद पर नियुक्त, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विशिष्ट उपबन्ध अंतर्विष्ट है कि जिसमें सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है।

परन्तु उपनियम (2) के उपबन्ध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगी जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात नियुक्त हुये हैं (मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान को छोड़कर)।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्पूर्वी नियुक्ति को भी लागू होगी बशर्ते सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

**टिप्पणः—** इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जायेगा।

**14.** (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा तथा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे: अनुशासन, शास्तियां, अपीलों।

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

**15.** सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा। टीका लगवाना।

**16.** सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।

**17.** जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीत हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुये, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

**18.** इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

**19.** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।

**20.** हरियाणा वास्तुक सेवा श्रेणी II नियम, 1976, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं: निरसन तथा व्यावृत्ति  
परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क  
(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक वास्तुक	10	—	10	स्तर-9/सैल-1 में = ₹53100

**परिशिष्ट ख**  
(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1.	2.	3.	4.
1.	सहायक वास्तुक	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक उपाधि या भारतीय वास्तुकला संस्थान की ऐसोसियेट सदस्यता (परीक्षा द्वारा) ;</p> <p>(ii) व्यक्ति वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अनुसार वास्तुकला परिषद् से पंजीकृत होना चाहिए ; तथा</p> <p>(iii) मैट्रिक या उच्चतर स्तर तक शिक्षा हिन्दी/संस्कृत।</p>	<p><b>पदोन्नति द्वारा-</b></p> <p>वास्तुक सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक उपाधि या भारतीय वास्तुकला संस्थान की ऐसोसियेट सदस्यता (परीक्षा द्वारा) और वास्तुकला परिषद् से पंजीकृत।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>वास्तुक सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव तथा वास्तुकला सहायकी में तीन वर्षीय उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) कोर्स या सिविल प्रारूपकार उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>वास्तुक सहायक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव जो उपाधियां उपाधि-पत्र नहीं रखता है ;</p> <p><b>स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा-</b></p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक उपाधि या भारतीय वास्तुकला संस्थान की ऐसोसियेट सदस्यता (परीक्षा द्वारा) ;</p> <p>(ii) व्यक्ति वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अनुसार वास्तुकला परिषद् से पंजीकृत होना चाहिए ;</p> <p>(iii) मैट्रिक या उच्चतर स्तर तक शिक्षा हिन्दी/संस्कृत ; तथा</p> <p>(iv) सहायक वास्तुक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।</p>

**परिशिष्ट ग**  
[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	सहायक वास्तुक	सरकार	<p><b>(I) लघु शास्तियाँ</b> हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट।</p> <p><b>(II) बड़ी शास्तियाँ</b> हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट।</p>	विभागाध्यक्ष	सरकार
				सरकार	सरकार



परिशिष्ट घ  
[देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	सहायक वास्तुक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उसको अधिवर्षिता के लिए नियत आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	सरकार

चण्डीगढ़:  
दिनांक 30 नवम्बर, 2017.

आलोक निगम,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वास्तुकला विभाग।